न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 269/2020 निर्णय दिनांक :–19.02.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. बदरीविशाल पुत्र दुर्गालाल जाति तेली उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. महेन्द्र कुमार पुत्र दुर्गालाल जाति तेली उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थी –

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र शिवशंकर जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नगरपालिका देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिपक्षीगण

–उपस्थितिः–

श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 961 ख0नं0 5207/4442 रकबा 0.64 है0 वाके तनग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। यह कि अप्रार्थी नम्बर 1 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 4443 एवं अप्रार्थी नम्बर 2 की आराजी खसरा नम्बर 4443/4776 वाके ग्राम देवली गांव पटवार हल्का देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 5207/4442 रकबा 0.64 है0 पर काफी समय से आम रास्ते से अप्रार्थी नम्बर 2 की भूमि खसरा नम्बर 4443/4776 मे से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 4443 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है परन्तु अब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात मे आने जाने वाले उक्त रास्ते को बन्द कर दिया

है तथा उक्त रास्ते से निकलने से मना कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने मे काफी परेशानी हो रही है तथा रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि को काश्त नही कर पा रहे है जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिये रास्ते से अप्रार्थी नम्बर 2 की भूमि खसरा नम्बर 4443/4776 मे से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 4443 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 961 खसरा नम्बर 5207/4442 रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये आम रास्ते से अप्रार्थी नम्बर 2 की भूमि खसरा नम्बर 4443/4776 मे से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 4443 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द जैन ने वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री प्रदीप वर्मा अधिवक्ता पेश हुए।

तहसीलदार देवली से मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई जो निम्नानुसार है:दिनांक 18.12.2020 को भू0अ0नि0 देवली व पटवारी हल्का देवलीगांव के साथ ग्राम देवलीगांव के खसरा नम्बर 4443 में से वादी द्वारा चाहा गया रास्ता बाबत मौका देखा गया तथा मौके पर वादी के ख0 नं0 5207/4442 पर पहुंच मार्ग ख0 नं0 4442 रकबा 0.05 है0 पूर्व में ही रास्ते के उपयोग में आ रहा है जो वादी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है वादी यदि रास्ता चौडा करवाना है तो स्वंय की संयुक्त खातेदारी के विभाजन के बाद ख0 नं0 5208/4442, 5209/4442 में से प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी जिस ख0 नं0 में रास्ता चाहता है वह कृषि भूमि के उपयोग में नही आ रहा है तथा मौके पर प्लॉटो के मुटाम लगे हुए है। अतः मौका रिपोर्ट

नक्शा ट्रेस जमाबन्दी एवं मौकें पर मौजूदा प्लॉटो के छायाचित्र संलग्न कर श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट गलत है। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी पहले से ही ख. नं. 4443 व 4443/4776 वाके ग्राम देवलीगांव में से आता जाता रहा है परन्तु खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ने अब रास्ता बन्द कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार देवली की रिपोर्ट एक्चुअल है। प्रार्थी पूर्व से ख. नं. 4442 को रास्ते के रूप मे उपयोग करता आ रहा है और प्रार्थी की आराजी भी इसी खसरा नम्बर के अड़वा ही है और इसमें प्रार्थी भी खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने पर दृष्टिगत है कि प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 5207/4442 ख. नं. 4442 के लगवा ही है और प्रार्थीगण ख. नं. 4442 के खातेदार है जिसमें से आसानी से आ जा सकते है। इससे स्पष्ट है कि रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं है। प्रार्थीगण पूर्व में उपयोग में लिये जा रहे ख. नं. 4442 को चौड़ा करवा सकता है। नया रास्ता नही बनाया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र सुखाचार व सुविधा के लिए पेश किया है जो धारा 251 ए की मशा के अनुरूप नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली